

**कार्यालय-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर**

①

15/8/20

Budget Section 0151-2226564, Mail id.- budgetele.edu@gmail.com, budget.eledu.bkn@rajsathan.gov.in

**बजट परिपत्र**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता से संबंधित लेखामदों के आय व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2020-21 हेतु संशोधित अनुमान राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हैं। उक्त प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में आवश्यक विस्तृत निर्देश आय व्ययक नियमावली के अध्याय 5, 9 एवं 10 में दिये हुए हैं, साथ ही विभाग स्तर से भी दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। जिनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार आप अपने नियन्त्रणाधीन कार्यालय/विद्यालयों के सभी लेखामदों के संकलित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। उक्त प्रस्ताव कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी-1, सहायक लेखाधिकारी-1A, कनिष्ठ लेखाकार एवं संबंधित विज्ञ लिपिक के साथ ही भिजवायें ताकि इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पहले उनसे पूर्ण चर्चा की जा सकें। किसी भी स्थिति में सहायक कर्मचारी के साथ प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जावें। आय के अनुमान पूर्ण विवरण सहित व्यय के अनुमानों के साथ ही प्रस्तुत किये जावें।

बजट प्रस्तुतकर्ता/आंकलन अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आय एवं व्यय के अनुमानों का समुचित तरीके से इस तरह आकलन करें कि अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में भिन्नता नहीं रहे। भिन्नता आने की स्थिति में बजट प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्धारित होगा।

सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि जो भी प्रस्ताव निदेशालय में प्रस्तुत किये जावें उसकी जांच/परीक्षण स्वयं अपने कार्यालय के रिकार्ड से करें तथा बजट प्रस्तावों के साथ चाही गई समस्त अतिरिक्त सूचना/विवरण के साथ प्रस्ताव भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तथ्यों को छुपाते हुए त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण एवं विलम्ब से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पी.ई.ई.ओ. क्षेत्र के विद्यालयों के बजट प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा संकलित किये जा रहे हैं, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा केवल अपने कार्यालय, शहरी क्षेत्र के विद्यालय तथा पंचायत राज मद के शिक्षकों से संबंधित लेखामदों के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हैं।



(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक 18/08/2020

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/बजट/बी-1/9820/2020-21/01

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर ।
2. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय-1), राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. उपशासन सचिव (आयोजना), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
6. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/विधि ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
10. प्रधानाध्यापक, रा0 विशिष्ट पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय रेजीडेन्सी परिसर उदयपुर ।
11. संपादक, शिविरा प्रकाशन ।
12. रक्षित पत्रावली ।
13. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा ।



मुख्य लेखाधिकारी

आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत करने का कार्यक्रम वर्ष 2021-22

2

आय एवं व्यय के अनुमान निम्न कार्यक्रम के अनुसार व्यक्तिशः प्रस्तुत करें।

क्र.स.	जिले का नाम	निर्धारित दिनांक
1	भरतपुर	2-Sep-20
2	धौलपुर	3-Sep-20
3	सवाईमाधोपुर	4-Sep-20
4	करौली	7-Sep-20
5	कोटा	8-Sep-20
6	बून्दी	9-Sep-20
7	झालावाड	10-Sep-20
8	बारां	11-Sep-20
9	बीकानेर	14-Sep-20
10	श्रीगंगानगर	15-Sep-20
11	चूरु	16-Sep-20
12	झुंझुनू	17-Sep-20
13	हनुमानगढ	18-Sep-20
14	जोधपुर	21-Sep-20
15	जैसलमेर	22-Sep-20
16	बाडमेर	23-Sep-20
17	सिरोही	24-Sep-20
18	जालौर	25-Sep-20
19	पाली	28-Sep-20
20	अजमेर	29-Sep-20
21	भीलवाडा	30-Sep-20
22	नागौर	1-Oct-20
23	टोंक	2-Oct-20
24	उदयपुर	5-Oct-20
25	बांसवाडा	6-Oct-20
26	झुंजरपुर	7-Oct-20
27	चित्तौडगढ	8-Oct-20
28	प्रतापगढ	9-Oct-20
29	राजसमन्द	12-Oct-20
30	जयपुर	13-Oct-20
31	दौसा	14-Oct-20
32	सीकर	15-Oct-20
33	अलवर	16-Oct-20

नोट:-1. सम्बन्धित जिले के समस्त कार्यालय अपने प्रस्ताव उक्त निर्धारित तिथि को ही प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

अतः तिथि में परिवर्तन हेतु पत्र व्यवहार नहीं किया जावे।

2. दिनांक 16.10.2020 के पश्चात् किसी भी कार्यालय से बजट प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे, निर्धारित तिथि को अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस को बजट प्रस्तुत करेंगे।

3. अपना ई-मेल पता भी दर्ज करें।

बजट अनुभाग की ई-मेल आई.डी.  
www.budgetele.edu@gmail.com

  
मुख्य लेखाधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

(3)

आय व्ययक अनुमान 2021-22 एवं संशोधित अनुमान 2020-21 तैयार करने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय व्ययक अनुमान एवं 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता से संबंधित लेखामदों के प्रस्ताव संलग्न तिथिक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को निदेशालय में संलग्न प्रपत्रों सहित प्रस्तुत हो, यह सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अभाव में आप को यदि राशि का कम/नहीं आवंटन होता है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। बजट प्रस्ताव तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावे:-

1. समस्त बजट प्रस्ताव विज्ञ लेखा/मन्त्रालयिक कार्मिक के साथ ही भिजवावें। अन्य स्टॉफ के साथ नहीं भिजवाई जावें।
2. समस्त प्रस्ताव चाहे वह प्रारम्भिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित हो अथवा पंचायत राज कार्मिकों से सम्बन्धित हो, बजट नियमावली एवं विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही तैयार किये जाकर प्रत्येक मदवार पृथक-पृथक प्रपत्र 8, 9 एवं 10 में तैयार कर सम्बन्धित प्रपत्रों की पूर्ति कर प्रस्तुत किये जावें। पंचायत राज एवं प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रपत्रों में कुछ भिन्नता है, अतः संबंधित प्रपत्र ही संलग्न किये जावें। यदि प्रपत्र की सूचना शून्य हो तो भी प्रपत्र अवश्य संलग्न किये जावें।
3. प्रस्तावों में जो भी राशि प्रस्तावित की जावे वह प्रमाणों एवं वास्तविकता के आधार पर ही होनी चाहिये। प्रस्तावों में अधिक या कम राशि की मांग करने की स्थिति में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा तथा ऐसे आधिक्य एवं बचत के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। अतः समस्त मांग का परीक्षण आप अपने रिकार्ड से करें तथा वास्तविक मांग ही बजट प्रस्तावों में प्रस्तावित की जावे।
- 3- समस्त बजट मदों के प्रपत्र-8 मदवार उसमें कार्यरत कर्मचारीवार ही तैयार किये जावे जो कि वास्तविक वेतन के आधार पर प्रस्तावित किये जाने हैं। रिक्त पद का वेतन नहीं दर्शाया जाना है अर्थात् आय व्ययक अनुमान एवं संशोधित अनुमान में ऐसे रिक्त पद से सम्बन्धित राशि प्रस्तावित नहीं की जानी है। वर्ष 2020-21 के संशोधित अथवा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का वेतन पूरे वर्ष का न लेकर जिस तिथि को सेवानिवृत्त होंगे उसी तिथि तक वेतन प्रपत्र-8 में दर्शाया जाना है।
- 4- सारांश प्रपत्र के समस्त कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से किया जावे। नियमित स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की सूचना प्रपत्र-1 में भरी जानी है तथा इन सबका व्यक्तिवार विवरण प्रपत्र-8 में उपलब्ध कराया जाना है। सभी प्रपत्रों के विवरण Soft Copy में MS-EXCEL में CD में FONT Devlys-010 का इस्तेमाल करते हुए आवश्यक रूप से भेजा जावे। CD बजट प्रस्तावों के साथ ही लाई जावे।

कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उनके कार्यालय से संबंधित डाटा वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड/फारवर्ड नहीं किया जाना है। यदि आवश्यक हुआ तो इस सम्बन्ध में बाद में निर्देश जारी कर दिए जायेंगे।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा अपने क्षेत्र के पी.ई.ई.ओ. के अधीन कार्यरत प्रारम्भिक शिक्षा के स्टॉफ का बजट प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

- 5- समस्त कार्यालय अपने अनुमान भेजते समय निम्न मदों और उप मदों को निर्धारित प्रपत्रों प्रपत्र-8 एवं प्रपत्र-9 में अनुमान प्रेषित करेंगे। प्रपत्र 9 में सभी मदों व उपमदों को दर्शाया जावे।

राज्य निधि अन्तर्गत शिक्षकों से संबंधित कुछ लेखामद चालू वित्तीय वर्ष में अन्य लेखामदों में समाहित हो गये है। इसलिए प्राचीन लेखामदों और नवीन लेखामद दोनों के बजट प्रस्ताव संकलित रूप से नवीन लेखामद में प्रस्तुत किये जावें।

4

क्र.स.	मांग संख्या	लेखामद	परिवर्तित लेखामद
1	2	3	4
1	24	2202-01-101-01-00 (राज्य निधि)	2202-01-101-07-01 (राज्य निधि)
2	24	2202-01-101-02-00 (राज्य निधि)	2202-01-101-08-01 (राज्य निधि)
3	24	2202-01-197-01-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-01-02 (राज्य निधि)
4	24	2202-01-197-02-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-02-02 (राज्य निधि)
5	24	2202-01-197-03-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-03-02 (राज्य निधि)
6	30	2202-01-197-08-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-08-02 (राज्य निधि)
7	30	2202-01-197-09-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-09-02 (राज्य निधि)

### 1-संवैतन

संवैतन में नियमित वेतन, स्थिर वेतन, वेतन एरियर इत्यादि की सूचना सारांश प्रपत्र में पृथक-पृथक दर्शायी जावें। सेवानिवृत्ति अवकाश नकदीकरण (केवल पं०स० से सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु पंचायत राज मद के लिए) दर्शाया सारांश पंचायत राज लेखामद प्रपत्र में जावें।

### 2-यात्रा एवं चिकित्सा व्यय

यात्रा एवं चिकित्सा व्यय हेतु बकाया दायित्वों की सूची आवश्यक रूप से संलग्न की जावें।

नोट:-यात्रा एवं चिकित्सा व्यय के लिये वास्तविक लम्बित प्रकरण की मांग केवल संशोधित अनुमान में ही की जानी है आय व्ययक अनुमान में नहीं की जावे। साथ ही बकाया दायित्वों की वर्षवार एवं मदवार सूचना सम्बन्धित प्रपत्र में अवश्य प्रस्तुत करेंगे।

### 3-कार्यालय व्यय

कार्यालय व्यय में सम्भावित व्यय का सारांश में अलग अलग विवरण प्रस्तुत किया जावें यथा डाक तार व्यय, दूरभाष व्यय (टेलीफोन की संख्या प्रपत्र 2 में अनिवार्यतः दी जावे), आयकर विवरणी दाखिल करने का व्यय, दैनिक वेतनभोगी (न्यायालय के आदशों के तहत) एवं अन्य आकस्मिक व्यय। बकाया की सूचना का पूर्ण विवरण संलग्न करें।

4-विद्युत प्रभार एवं जल व्यय पानी बिजली के बकाया बिलों से संबंधित मांग हेतु अलग से विस्तृत मद संचालित है जिसमें राशि प्रस्तावित की जानी है।

5-वर्दियों पर व्यय - प्रपत्र सारांश में वर्दियों से संबंधित समस्त कॉलम की पूर्ति करें।

6-वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाओं पर संदाय - विधि विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार संशोधित अनुमान वास्तविक मांग के अनुसार प्रस्तुत करें तथा बकाया/मांग की सूची/विवरण भी संलग्न कर प्रस्तुत किये जावें।

7-कार्यालय/शाला भवन जो किराये के भवनों में चल रहे हैं उनका लेखामद वार मांग राशि प्रपत्र सारांश में ही अंकित की जावें। कितने भवन किराये पर है, यदि किराया अभिवृद्धि हुई है तो स्वीकृति की प्रति, किराया तथा एरियर के लेखामदवार दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि बकाया देनदारी से संबंधित राशि संशोधित अनुमान 2020-21 में प्रस्तावित नहीं की गई तो विभाग स्तर से किसी भी परिस्थिति में ऐसी बकाया देनदारी के भुगतान हेतु राशि आवंटित नहीं की जावेगी तथा उसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यालयाध्यक्ष का होगा। किसी भी प्रकार की देनदारी के लिये राशि बजट प्रस्तावों में प्रस्तावित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको वांछित राशि का आवंटन हो ही जावेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बकाया दायित्वों के चुकारे हेतु वित्त विभाग राशि उपलब्ध कराता है अथवा नहीं।

8-अपेक्षित सूचना सटीक हो तथा इसमें कोई चूक नहीं हो इसकी उचित जांच एवं कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक-एक परिशिष्ट क्रमशः सारांश (पंचायत राज) तथा सारांश (राजकीय विद्यालय) के रूप में जांच सूची है। समस्त आकलन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अनुमान तैयार कर प्रस्तुत करते समय सावधानीपूर्वक सारांश का प्रयोग करें। उक्त सारांश दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे। सारांश में दर्शाये गये पदनाम उदाहरणार्थ दिए गए हैं। आंकलन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सारांश में सम्बन्धित लेखामद में उसके कार्यालयों को स्वीकृत समस्त पदों का विवरण दिया जावे।

## राजस्व के अनुमान तथा आय एवं व्यय का विवरण

5

प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियां की सूचना प्रपत्र-10 (आय का विस्तृत बजट अनुमान) में तैयार कर बजट के साथ ही प्रस्तुत करें।

### लेखामद

1.	0075-00-105-12-01	विद्यालय भूमि अधिग्रहण की राशि
2.	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 101-प्रारंभिक शिक्षा 01-शिक्षा, फीस एवं अन्य फीसों 00	मान्यता, फीस, शुल्क आदि से प्राप्त आय
3.	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 101-प्रारंभिक शिक्षा 02-शिक्षा, फीस एवं अन्य फीसों 01-विविध	रद्दी, निलामी आदि से प्राप्त आय सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त शुल्क
4.	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 101-प्रारंभिक शिक्षा 02-शिक्षा, फीस एवं अन्य फीसों 03-अंशदान तथा वृत्तिदानों से आय	विद्यालय भवन किराया आदि से प्राप्त राशि
5.	0049-04-801-01-01	ब्याज से प्राप्त आय के चालान

पूर्व में अधिक भुगतान की वसूली से संबंधित लेखामद 0202-01-101-02-02 के स्थान पर नवीन लेखामद संचालित किये गये हैं विवरण निम्नानुसार है:-

1.	प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यालयों के लिए (डाईटों के अतिरिक्त)	लेखामद 2202-01-911-01-00-98-घटाईये में जमा होंगे तथा ये राशि राजस्व में शामिल नहीं होगी।
2.	डाईटों के लिए	लेखामद 2202-80-911-01-00-98-घटाईये में जमा होंगे तथा ये राशि राजस्व में शामिल नहीं होगी।

उपरोक्त सूचना प्रपत्र-10 में संकलित कर निदेशालय को निर्धारित तिथि तक भिजवावें तथा प्राप्तियों से संबंधित चालान बजट प्रस्तावों के साथ उपलब्ध कराये जावे। विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 की सम्पूर्ण तथा चालू वर्ष में जुलाई 2020 तक प्राप्त राशि जो कोषालय में जमा कराई गई है की कोषालय से मिलान का प्रमाण पत्र साथ में लावें।

नोट:- इस सम्बन्ध में अन्य कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो दूरभाष संख्या 0151-2226564 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संराश (दो प्रतियों में)  
(सूचना लेखामदवार तैयार की जानी है)

(केवल राजकीय कार्यालयों एवं विद्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित)

6

कार्यालय का नाम व IFMS कोड  
लेखामद (पूरा अंकित करें)

2202-01-

(सम्बन्धित लेखामद में स्वीकृत पदों अनुसार समस्त) पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत			रिक्त	विवरण		संख्या
		01 01 2004 से पूर्व नियुक्त	01 01 2004 के पश्चात नियुक्त	योग		जमादार	पुरुष	
						महिला	पुरुष	
एसीबीईओ कम बीईईओ							विद्यालय प्रावि/ उपप्रावि	
यरिष्ठ अध्यापक							स्थिर वेतन कर्मचारी	
अध्यापक							दैनिक वेतनमोगी	
प्रबोधक							कार्यरत विद्यार्थी मित्र	
							स्वीकृत सविदा कर्मचारी यदि हो	
							निलम्बित कार्मिक	
योग								

विवरण	संशोधित अनुमान 2020-21 (राशि लाखों में)	आय व्ययक अनुमान 2021-22 (राशि लाखों में)
<b>सवेतन</b>		
(1) वेतन [Grade Pay + Pay in running Pay Band]		
(2) महगाई भत्ता @ 17 %		
(3) मकान किराया भत्ता		
(4) शहरी भत्ता		
(5)		
(6)		
(7) सभर्पित अयकाश		
(8) बोनस		
(9) अन्य भत्ता		
(10) स्थिर वेतन राशि		
(11) वेतन एरियर (यदि कोई हो)		
(12) महगाई भत्ता एरियर		
(13) निर्वाह भत्ता		
(14) विद्यार्थी मित्रो हेतु आवश्यक राशि		
<b>सर्वयोग संवेतन</b>		
03- यात्रा व्यय		
(क) चालू वर्ष के		
(ख) गत वर्षों के		
<b>योग यात्रा व्यय</b>		
04- चिकित्सा व्यय		
(क) चालू वर्ष के		
(ख) गत वर्षों के		
<b>योग चिकित्सा व्यय</b>		
05- कार्यालय व्यय		
(1)- पानी बिजली		
(2)- टेलीफोन		
(3)- डाक टिकट		
(4)- फर्नीचर मरम्मत		
(5)-कम्प्यूटर सेवा एव रखरखाव		
(6) लेखन/मुद्रण व्यय		
(7) दैनिक वेतनमोगी (न्यायालय आदेश पर)		
(8) अन्य		
<b>योग कार्यालय व्यय</b>		
08- वृत्तिक एव विशिष्ट सेवाओं पर सदाय (कोर्ट केस आदि पर व्यय)		
09- किराया रेंट कर/रायल्टी		
11-विज्ञापन		
28- शिक्ष व्यय		
31-पुस्तकालय एव पत्र पत्रिकाओं पर व्यय		
36-वाहन किराया		
37- वर्टिया		
41-सविदा पर व्यय		
62-कम्प्यूटराईजेशन एव तत्संबंधी संचार व्यय		
<b>योग</b>		
<b>महायोग प्रपत्र 9</b>		

कार्यालयध्यक्ष का नाम व मोबाईल नम्बर -  
लेखाकार/संबन्धित कार्मिक का नाम व मोबाईल नम्बर -

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण का व्यक्तिगत परीक्षण कर लिया गया है तथा विवरण पूर्ण रूप से सही है। समस्त बकाया दायित्वो को उक्त सूचना में शामिल कर लिया गया है जितने भी बकाया दायित्व हैं उनका विस्तृत मदवार विवरण सलग्न है।

सारांश (दो प्रतियों में)

केवल पंचायत राज से संबंधित कर्मचारियों से संबंधित सूचना  
जिनके वेतन का भुगतान पी.डी. खातों के माध्यम से किया जाता है।

7

कार्यालय का नाम व IFMS कोड

लेखामद (पूरा अंकित करें)

2202-01-197-14-01 / 2202-01-197-15-01 (राज्य निधि)

पद	स्वीकृत	कार्यरत			रिक्त	विवरण	संख्या
		01.01.2004 से पूर्व नियुक्त	01.01.2004 के पश्चात नियुक्त	योग			
अध्यापक-III श्रेणी						च0श्रे0कर्म0 पुरुष	
अतिरिक्त पैराटीचर्स						महिला	
महिला पैराटीचर्स						प्राथमिक विद्यालय	
शारीरिक पैराटीचर्स						स्थिर वेतन कर्मचारी	
वरिष्ठ सहायक						दैनिक वेतनभोगी	
कनिष्ठ सहायक						कार्यरत विद्यार्थी मित्र	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						निलंबित कार्मिक	
						सेवानिवृत्त कार्मिक	
						एन.पी.एस. वाले कार्मिक	
योग							

A

विवरण	12 माह के लिए मांग राशि लाखों में	
	संशोधित अनुमान 2020-21	आयव्ययक अनुमान 2021-22
1. मूल वेतन (Pay + Grade Pay)		
2. महगाई भत्ता @ 17 %		
3. मकान किराया भत्ता		
4. समर्पित अवकाश		
5. अन्य भत्ते		
6. स्थिर वेतन		
7. डीए एरियर		
8. निर्वाह भत्ता		
9. पैराटीचर्स का मानदेय		
10. विद्यार्थी मित्रों हेतु राशि		
11. ए.सी.पी. एरियर		
12. बोनस		
13. सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान		
योग A		
<b>B</b>		
1. यात्रा व्यय		
2. चिकित्सा व्यय		
3. कार्यालय व्यय (पानी बिजली पर व्यय सहित)		
4. वर्दियां		
5. अन्य प्रभार (प्राथमिक विद्यालय X 500 )		
योग B		
संवैतन माह जनवरी-फरवरी 2020 हेतु अतिरिक्त मांग		
2020-21 में यात्रा व्यय में अतिरिक्त मांग		
2020-21 में चिकित्सा व्यय में अतिरिक्त मांग		
2020-21 में कार्यालय व्यय में अतिरिक्त मांग		

सीबीईओ का नाम व मोबाइल नम्बर -  
लेखाकार/संबंधित कार्मिक का नाम व मोबाइल नम्बर -

(कर्मचारी के बकाया दायित्वों का वर्षवार विवरण प्रपत्र प्राशि 10 में दर्शाये, सारांश का योग प्रपत्र 9 से मिलना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण का व्यक्तिगत परीक्षण कर लिया गया है तथा विवरण पूर्ण रूप से सही है। समस्त बकाया दायित्वों का उक्त सूचना में शामिल कर लिया गया है जितने भी बकाया दायित्व हैं उनका विस्तृत मदवार विवरण संलग्न है।

प्रपत्र - 1

अ. नियमित/कार्य-प्रभारित स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.स.	लेखों का शीर्ष दीर्घ शीर्ष/ उपदीर्घ शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	पद नाम	ग्रेड पे	वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या	विभाग का नाम		रिक्त पदों की संख्या [6-(7+8)]
						नियमित कार्यरत कर्मचारी		
						1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त	1 जनवरी 2004 से पश्चात नियुक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

ब. स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण

क्र.स.	लेखों का शीर्ष दीर्घ शीर्ष/ उपदीर्घ शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	पद नाम	ग्रेड पे	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार 1. कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार 2. तदर्थ अस्थाई नियुक्ति 3. पुनर्नियुक्ति 4. ऐजेन्सी के माध्यम से 5. प्रत्यक्ष संविदा 6. अन्य	संख्या	कुल वार्षिक वित्तीय भार (रूपयों में)		
									विभाग का नाम	
									कार्यालय का नाम	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

स. विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण (स्वीकृत पदों के अतिरिक्त)

क्र.स.	लेखों का शीर्ष दीर्घ शीर्ष/ उपदीर्घ शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	पद नाम	संख्या	वार्षिक वित्तीय भार (रूपये सहस्र में)
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

2



प्रपत्र - 2  
कार्यालय में स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाईल का विवरण

कार्यालय का नाम व IFMS कोड					टेलीफोन नम्बर/संख्या		
क्र.स.	लेखों का शीर्ष दीर्घ शीर्ष/उपदीर्घ शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	पद नाम	कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र-3

विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर्स /सर्वर एवं किराये पर लिये गये कम्प्यूटर्स की सूचना

(राशि रूपयों में)

कार्यालय का नाम व IFMS कोड				विभागीय		किराये पर लिये गये कम्प्यूटर्स		
क्र.स.	लेखे का शीर्ष दीर्घ शीर्ष/उपदीर्घ शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	कम्प्यूटर/सर्वर (संख्या)	प्रिन्टर (संख्या)	मशीन विद मैन (संख्या)	वार्षिक भार (रूपये सहस्त्र में)	वित्त विभाग की आई.डी. एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-4(अ)

विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची

कार्य-कलाप वाहन/कार्यालय वाहन

कार्यालय का नाम व IFMS कोड					वाहनों का विवरण		
क्र.स.	लेखे का शीर्ष दीर्घ शीर्ष/उपदीर्घ शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	पदनाम	वाहन का प्रकार जीप/ कार/अन्य	रजिस्ट्रेशन संख्या	क्रय का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-4(ब)

विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची

कार्य-कलाप वाहन/कार्यालय वाहन

कार्यालय का नाम व IFMS कोड				वाहनों का विवरण			पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपये सहस्त्र में)	वित्त विभाग की आई.डी. एवं दिनांक
क्र.स.	लेखे का शीर्ष दीर्घ शीर्ष/उपदीर्घ शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	वाहन का प्रकार जीप/ कार/अन्य	श्रेणी (राज्य/सम्भाग/जिला/स्थानीय स्तरीय)	कुल संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

(10)

प्रपत्र-8

निश्चित व्ययों के विस्तृत अनुमान अर्थात् अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन अनुमान वर्ष ..... (अप्रैल से मार्च तक)  
(बजट अनुमान अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करने हेतु)

कार्यालय का नाम व IFMS कोड ..... (राशि रूपयों में )  
लेखे का शीर्ष/ दीर्घ शीर्ष/ उपदीर्घ शीर्ष/ लघुशीर्ष/ उपशीर्ष

क्र.स.	नाम	जी पी एफ न / एन पी एस नम्बर	पद	पद का स्वीकृत वेतन		बजट की प्रारम्भिक तिथि यानि 1 मार्च को कर्मचारी का वेतन	पहली मार्च से अन्तिम फरवरी के लिए निर्धारित रकम	वृद्धि जो इस अवधि में होगी		आगामी वर्ष 2021-22 के लिये रकम (कालम 8 और 10 का योग)	चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान	विशेष विवरण
				पे बैंड	ग्रेड पे			तिथि वृद्धि	रकम वृद्धि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

प्रपत्र-9

व्यय का विस्तृत बजट अनुमान (मय संवेतन विस्तृत शीर्ष सहित) वित्तीय वर्ष ..... (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) का  
विभाग का नाम - प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर

कार्यालय का नाम व IFMS कोड ..... (रूपये लाखों में )  
लेखाशीर्षक

क्र.स.	विस्तृत लेखा शीर्षक	दत्तमद / प्रभत	वास्तविक व्यय के आंकड़े			आय व्ययक अनुमान 2020-21 (चालू वर्ष)	वास्तविक व्यय के आंकड़े			अगस्त 20 से मार्च 21 तक सम्भावित व्यय (चालू वर्ष)	संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 कालम (9+11)	आय व्ययक अनुमान 2021-22			वृद्धि(+) या कमी(-)			नवीन आइटम	विशेष विवरण
			2017-18	2018-19	2019-20		अगस्त 19 से मार्च 20 तक (गत वर्ष)	अप्रैल 20 से जुलाई 20 तक (चालू वर्ष)	कालम 8 व 9 का योग			कमिटेड	नवीन	कुल (13+14)	कालम 7 और 12 में	कालम 10 और 12 में	कालम 12 और 15 में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

प्रपत्र-10

(For submission by Budgeting Officers to their Heads of Department)  
आय का विस्तृत बजट अनुमान वित्तीय वर्ष ..... (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) का

कार्यालय का नाम व IFMS कोड ..... विभाग का नाम ..... (रूपये लाखों में )  
लेखाशीर्षक

क्रम सख्या	लेखे का शीर्ष/ दीर्घ शीर्ष/ उपदीर्घ शीर्ष/ लघुशीर्ष/ उपशीर्ष	वास्तविक आय के आंकड़े			आय व्ययक अनुमान 2020-21 (चालू वर्ष)	वास्तविक व्यय के आंकड़े			अगस्त 20 से मार्च 21 तक सम्भावित व्यय (चालू वर्ष)	संशोधित अनुमान 2020-21 (चालू वर्ष) (कालम 8+10)	आय व्ययक अनुमान 2021-22 (आगामी वर्ष)	विभिन्न कॉलमों के बीच वृद्धि(+) या कमी(-)		
		2017-18	2018-19	2019-20		अगस्त 19 से मार्च 20 तक (गत वर्ष)	अप्रैल 20 से जुलाई 20 तक (चालू वर्ष)	कालम 8 व 9 का योग				6 व 11 में	9 व 11 में	11 व 12 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

कार्यालय का नाम व IFMS कोड प्रपत्र-प्राशि-1 पानी व बिजली का विवरण

विद्यालय / कार्यालय का नाम	विद्यालयों की संख्या जहां पानी / बिजली की सुविधा उपलब्ध है		मासिक औसत राशि		वांछित राशि	
	उपभोक्ता सर्विस सं० बिजली	उपभोक्ता सर्विस सं० पानी	बिजली	पानी	संशोधित अनुमान 20-21	आय व्ययक अनुमान 21-22
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र-प्राशि-1(अ) अन्य भत्तों का विवरण (शहरी/प्र०अ०/विकलांग/साईकिल सवार भत्तों का विवरण पृथक पृथक)

वेतन स्तर	कर्मचारियों की संख्या	दर	संशोधित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5

प्रपत्र-प्राशि-1(ब) निर्वाह भत्ते का विवरण

कर्मचारी का नाम	निर्वाह भत्ता मय महगाई भत्ता / मकान किराया भत्ता आदि	विशेष विवरण	संशोधित अनुमान 2017-18	आय व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5

प्रपत्र-प्राशि-2 वर्दियों पर व्यय (राशि रूपों में)

कार्यालय का नाम व IFMS कोड

विवरण	वर्दियों के लिए हकदार कर्मचारियों की संख्या			वर्दियों पर व्यय		
	गत वर्ष 2019-20	चालू वर्ष 2020-21	आगामी वर्ष 2021-22	गत वर्ष 2019-20	चालू वर्ष 2020-21	आगामी वर्ष 2021-22
जमादार(पुरुष)@1800/-						
जमादार(महिला)@1950/-						
च.श्रे.क.(पुरुष)@1650/-						
च.श्रे.क.(महिला)@1950/-						
डाईवर @1800/-						
योग						

प्रपत्र-प्राशि-3 - भवन किराये की सूचना

कार्यालय का नाम व IFMS कोड

विद्यालय / कार्यालय का नाम	भवन मालिक का नाम	भवन किराये पर लेने की तिथि	मासिक किराया	वार्षिक राशि	एरियर की राशि (अवधि सहित)	संशोधित अनुमान 20-21	आय व्ययक अनुमान 21-22	एरियर रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-प्राशि-4 - स्थिर वेतन पर कार्यरत (नवनियुक्त) कर्मचारियों का विवरण

कार्यालय का नाम व IFMS कोड

क०स०	कार्यालय / विद्यालय का नाम	स्थिर वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का नाम	नियुक्ति तिथि	संशोधित अनुमान 2020-21 में प्रस्तावित राशि	आय व्ययक अनुमान 2021-22 हेतु आवश्यक राशि
1	2	3	4	5	6

नोट - इस प्रपत्र में दर्शायी गई कुल राशि को प्रपत्र-9 में नियमित वेतनमान में कुल वेतन, उस पर देय भत्तों आदि को दर्शाने के पश्चात् अलग से स्थिर वेतन का कॉलम बनाते हुए उसमें राशियां 2020-21 संशोधित अनुमान व 2021-22 आय व्ययक अनुमान के कॉलम में शामिल करें।

प्रपत्र -प्राशि-5

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी / अंशकालीन कर्मचारियों का विवरण (यदि कोई हो)

कार्यालय का नाम व IFMS कोड

लेखामद -

क०स०	कर्मचारी का नाम	न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक	मासिक राशि	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	अंशकालीन कर्मचारी	आवश्यक राशि	
						संशोधित अनुमान 20-21	आय व्ययक अनुमान 21-22
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र -प्राशि-6

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी / अंशकालीन कर्मचारियों का विवरण (यदि कोई हो)

कार्यालय का नाम व IFMS कोड

लेखामद -

क०स०	कर्मचारी का नाम	न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि.	मासिक राशि	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	अंशकालीन कर्मचारी	आवश्यक राशि	
						संशोधित अनुमान 20-21	आय व्ययक अनुमान 21-22
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र-प्राशि-7

ब्लॉक कार्यालय का नाम.....

व आफिस आई.डी. ....

पी.डी. खाता संख्या-.....

पी.डी.खाते के शेष की सूचना

(राशि लाखों में)

मांग संख्या-24 लेखामद 2202-01-197-14-01 (राज्य निधि)

क्र.स.	विवरण	12-सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन					92-सहायतार्थ अनुदान
		यात्रा व्यय	चिकित्सा व्यय	कार्यालय व्यय	वर्दिया	योग	संवेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.04.2019 को शेष						
2	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि						
3	योग						
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय राशि						
5	31.03.2020 को शेष राशि						

मांग संख्या-30 लेखामद 2202-01-197-15-01 (राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क्र.स.	विवरण	12-सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन					92-सहायतार्थ अनुदान
		यात्रा व्यय	चिकित्सा व्यय	कार्यालय व्यय	वर्दिया	योग	संवेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.04.2019 को शेष						
2	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि						
3	योग						
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय राशि						
5	31.03.2020 को शेष राशि						

ह. लेखाकार

ह. बीईईओ

12

प्रपत्र-प्राशि-14

ब्लॉक कार्यालय का नाम..... व आफिस आई.डी. .... पी.डी. खाता संख्या-.....

पी.डी.खाते के शेष की सूचना (मदवार)

(राशि लाखों में)

मांग संख्या-24 लेखामद 2202-01-197-14-01 (राज्य निधि)

क्र.स.	विवरण	12-सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन					92-सहायतार्थ अनुदान
		यात्रा व्यय	चिकित्सा व्यय	कार्यालय व्यय	वर्दिया	योग	संवेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.04.2020 को शेष						
2	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि						
3	योग						
4	वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय राशि						
5	31.08.2020 को शेष राशि						

मांग संख्या-30 लेखामद 2202-01-197-15-01 (राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क्र.स.	विवरण	12-सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन					92-सहायतार्थ अनुदान
		यात्रा व्यय	चिकित्सा व्यय	कार्यालय व्यय	वर्दिया	योग	संवेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.04.2020 को शेष						
2	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि						
3	योग						
4	वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय राशि						
5	31.08.2020 को शेष राशि						

ह. लेखाकार

ह. बीईईओ

13

**प्रपत्र प्राशि-11 एवं 13**  
**जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) द्वारा प्रस्तुत किये जावें।**

14

**प्रपत्र-प्राशि-11**

**प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राशि की मांग वर्ष 2020-21 (राशि लाखों में)**

श्रेणी	विवरण कक्षा	छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन वर्ष 2020-21		निर्धारित दर से आवेदन अनुसार मांग राशि (गणना 10 माह हेतु की जावें)				पिछला बकाया	कुल मांग वर्ष 2020-21 (कॉलम 9+10)	
		छात्र	छात्रा	छात्र		छात्रा				कुल (कॉलम 6+8)
				दर	राशि	दर	राशि			
अनुसूचित जाति	6 से 8			75रु0 प्रतिमाह		125 रु.प्रतिमाह				
अनुसूचित जन जाति	6 से 8			75रु0 प्रतिमाह		125 रु.प्रतिमाह				
धुमन्तु, विमुक्त, सीमान्त एरिया अन्य पिछड़ा वर्ग	6 से 8			15 रु. प्रतिमाह		20 रु. प्रतिमाह				
अन्य पिछड़ा वर्ग (के.प्र.यो.)	6 से 8			100 रु. प्रतिमाह		100 रु. प्रतिमाह				
अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति	1 से 8	हास्टलर कक्षा 3 से 8		700 रु. प्रतिमाह एकमुशत अनुदान 1000 रु0 प्रतिवर्ष		700 रु. प्रतिमाह एकमुशत अनुदान 1000 रु0 प्रतिव				
		डेस्कॉलर		225 रु. प्रतिमाह एकमुशत अनुदान 750 रु0 प्रतिवर्ष		225 रु. प्रतिमाह एकमुशत अनुदान 700 रु0 प्रतिवर्ष				
विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	6 से 8			50 रु. प्रतिमाह		100रु. प्रतिमाह				
<b>सर्वयोग</b>										

**प्रपत्र-प्राशि-13**

**विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना योजना की सूचना**

वर्ष	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	निस्तारित प्रकरणों की संख्या	शेष प्रकरणों की संख्या	बकाया रहने के कारण	भुगतान की गई राशि
2015-16					
2016-17					
2017-18					
2018-19					
2019-20					

**प्रमाण-पत्र**

भुगतान की गई राशियों एवं निस्तारण प्रकरणों की संख्या का मिलान जिले के राज्य बीमा विभाग से कर लिया गया है। साथ ही बकाया प्रकरणों के संबंध में अधीनस्थ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर इकजाई सूचना प्रस्तुत की गयी है।

नोट:- प्रमाण-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जाना है।